# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम .जिला कलक्टर,भरतपुर

थानाधिकारी कोतवाली भरतपुर बनाम अजरूद्दीन

प्रा. पत्र विविध - 84 सन 2024.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.10.24 | आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अजरूद्दीन पुत्र श्री साहबुद्दीन आयु 25 साल निवासी कावान का वास, थाना खोह जिला डीग पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।<br>जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी अजरूद्दीन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय राज0 जयपुर में दायर S.B Criminal Writ Petition no. 1944/2024 में निर्णय दिनांक 09.10.2024 की प्रति संलग्न कर पेश किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के आदेश 09.10.2024 का अवलोकन किया गया। मा0 न्यायालय ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.2023 को संशोधित करते हुये पैनल्टी राशि रू. 3.00 लाख को समाप्त कर दिया है। प्रार्थी द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश की पालना में सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पेश किये हैं।<br>सुपुर्दगार अजरूद्दीन पुत्र साहबुद्दीन आयु 25 साल निवासी काबान का वास, थाना खोह जिला डीग एवं जामिन मुकीम पुत्र अत्तीखान निवासी काबान का वास, थाना खोह जिला डीग की पहचान एडवोकेट मुकेश शर्मा द्वारा की गई है। जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा शामिल मिसिल किये गये।<br>अतः आदेश है कि भारसाधक पदाधिकारी थाना कोतवाली भरतपुर को इस आशय की कैफियत जारी हो कि गो वंश प्रकरण में जप्त वाहन सं0 पिकअप नं. RJ 32 GB 6420 किसी अन्य प्रकरण में वॉछित (WANTED) ना हो तो उक्त जप्त वाहन को प्रार्थी अजरूद्दीन पुत्र साहबुद्दीन को सुपुर्द किया जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही मूल पत्रावली शामिल हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>भरतपुर | |